आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 455/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
इण्डियन बैंक शाखा–84/56, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जिला जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स यस शिवांगी बिलकॉन प्रा. लि.,
   पताः– प्लॉट नं. सी–1 व सी–2, तृतीय तल, पत्रकार कॉलोनी, महाराजा किशन सिंह नगर, मानसरोवर, जयपुर।
   एवं दुकान संख्या 5, शॉपिंग सेन्टर, मीरा मार्ग, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर।
2. श्री देवेन्द्र सिंह गुप्ता पुत्र श्री कुन्दन लाल,
   पता– ए–88, दादूदयाल नगर, कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
   एवं दुकान संख्या 5, शॉपिंग सेन्टर, मीरा मार्ग, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर।
   एवं सी–91, हरिमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।
3. श्रीमती क्षमा गुप्ता पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह गुप्ता,
   पता– 92, अनाज मण्डी, वार्ड नं. 5, भरतपुर।
   एवं ए–88, दादूदयाल नगर, कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
4. श्री गोविन्द पुत्र श्री दुर्गी,
   पता– जाटव बस्ती, पिडवाली खोहरा, भरतपुर।
5. श्री शेलेन्द्र सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह,
   पता– जाटोल रथवान, भरतपुर।
6. श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा,
   पता– बी–44, दादूदयाल नगर, कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 19.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती क्षमा गुप्ता व श्रीमती पुष्पा शर्मा के स्वामित्व की (1.) सम्पति प्लॉट नं. 62, कृष्णा सरोवर स्कीम, इस्कॉन मंदिर के पास, ग्राम धौलाई, तहसील सांगानेर,

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला जयपुर, क्षेत्रफल 252.02 वर्गगज एवं श्री देवेन्द्र सिंह के स्वामित्त्व की संपत्ति (2.) दुकान नं. 5, शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर 1, जोन 101, मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 21.52 वर्गगज एवं (3.) प्लॉट नं. सी–1, महाराजा किशन सिंह नगर, पत्रकार कॉलोनी के पास, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, मुहाना मण्डी रोड़, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 112.50 वर्गगज एवं (4.) प्लॉट नं. सी–2, महाराजा किशन सिंह नगर, पत्रकार कॉलोनी के पास, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, मुहाना मण्डी रोड़, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 112.50 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 02.04.2019 को राशि 04,50,00,000/– रूपये एवं दिनांक 16.06.2020 को राशि 88,00,000/ रूपये कुल राशि 05,38,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,38,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 05,36,66,072.41/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती क्षमा गुप्ता व श्रीमती पुष्पा शर्मा के स्वामित्व की (1.) सम्पति प्लॉट नं. 62, कृष्णा सरोवर स्कीम, इस्कॉन मंदिर के पास, ग्राम धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 252.02 वर्गगज एवं श्री देवेन्द्र सिंह के स्वामित्त्व की संपत्ति (2.) दुकान नं. 5, शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर 1, जोन 101, मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 21.52 वर्गगज एवं (3.) प्लॉट नं. सी–1, महाराजा किशन सिंह नगर, पत्रकार कॉलोनी के पास, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर